To

The District Judge
Jaunpur

Registered post by post 14

319
No 3892 /IV- 3120 / Admin A dated 03-3-2011

Subject- Regarding the matter of payment of house rent allowance to Smt Pratibha Saxena, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur for the period of her posting at Ghaziabad

Sir,
With reference to your letter No J.S 1095/L dated 14-10-2010 on the above subject, I am directed to say that Smt Pratibha Saxena, Additional Chief Judicial Magistrate Jaunpur may be asked to furnish a certificate claiming the actual amount of house rent allowance countersigned by the District Judge concerned alongwith photocopy of receipt of house rent which was paid by her during the posting at Ghaziabad, to this Court at an early date for taking necessary action in the matter.

JR (C)
Order dated 24-2-11 of Learned R.G is placed below
May kindly see the draft and issue
PK Srivastava
25-02-2011
[signature]
25-2-11
A.R. Admin (A-1)

Yours faithfully
Sunil Kumar
26.2.2011
Joint Registrar

380
No 3893 /IV-3120/ Admin A dated 03-3-2011
Copy forwarded to Smt Pratibha Saxena, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur for information and necessary action

Sunil Kumar
26.2.2011
Joint Registrar

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर ।

सेवा में,

संयुक्त निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांक: J.S/1095/I दिनांक, जौनपुर: अक्तूबर 14, 2010 ई.

विषय: श्रीमती प्रतिभा सक्सेना, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर को हापुड़, गाजियाबाद में नियुक्ति के दौरान का किराया देने के सम्बन्ध में ।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 10098/चार-3120/एडमिन॰(ए), दिनांकित 23.06.2010 के सन्दर्भ में यह कहना है कि श्रीमती प्रतिभा सक्सेना, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़, गाजियाबाद वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जौनपुर को दिनांक 01.7.07 से मई, 2009 तक मकान किराया भत्ता देने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस कार्यालय से जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है जो आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । उक्त प्रमाणपत्र के अनुसार श्रीमती सक्सेना को दिनांक 01.7.07 से 15.12.08 तक 735/-रूपये प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता का भुगतान किया गया है जबकि दिनांक 16.12.08 से 31.5.09 तक सेल्फ ड्राविंग आफिसर होने के कारण मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि श्रीमती प्रतिभा सक्सेना ने इस जजशिप में दिनांक 08.6.2009 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और सरकारी आवास में रह रही हैं ।

अत: संलग्न प्रमाणपत्र एवं उपरोक्त तथ्य/टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय,

(टी.ए. सिद्दीकी),
जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर ।

संलग्नक:
यथा उपरोक्त ।

संख्या: / तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जौनपुर श्रीमती प्रतिभा सक्सेना को सूचनार्थ प्रेषित ।

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर ।

**Office of the District Judge,**
**Ghaaziabad.**
**Dated : 10 /09 /2010.**

Request

## CERTIFICATE

In view of the report of Officer in Charge Accounts dated . 04-09-2010 in respect of applications dated 05 - 11 - 2008 and 14- 01-2009 submitted by Smt . Pratibha Saxena the then Judicial Magistrate Hapur , Ghaziabad , **it is certified that She has been paid House Rent Allowance @ 735/- per month for the period 01- 07- 2007 to 15- 12-2008 .**

During period 16-12-2008 to 31-05-2009 Smt. Pratibha Saxena remain as Self Drawing Officer and has not drawn any House Rent Allowance for the period 16-12-2008 to 31-05-2009.

10/9/10
**District Judge,**
**Ghaziabad.**

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर

(1)

To

The District Judge
Jaunpur

Registered post
Regd. AD

359
No 10098 /IV-3120/Admin A dated 23-6-2010

Subject - Regarding matter of payment of house rent at the rate of Rs 5000/- per month during her posting at Hapur, Ghaziabad from June 2007 to January 2009 to Smt Pratibha Saxena, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur

Sir,
I am directed to send herewith a photo-copy of application dated 14.05.09 and 03-5-09 of Smt Pratibha Saxena, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur alongwith copy of Government letter No 4604/II-4-09-22(12)/2010 dated 27.04.2010 and its enclosures on the above subject and to request you kindly to obtain comments/Views of the District Judge, Ghaziabad in the aforesaid matter and the comments so received from the District Judge, Ghaziabad it may be forwarded to this Court after making your comment for taking necessary action

JRM
order dated 28.05-2010 of Registrar (B) is placed below
may kindly see the draft and issue
AKSrivastava
01.06.2010
[signature]
01-06-10

Yours faithfully
[signature] 23/6/10
Joint Registrar

360
No 10099 /IV-3120/Admin A dated 23-6-2010
Copy forwarded for information and necessary action to -
1 - The Under Secretary Appointment Section-4 Government of U.P. Lucknow with reference to Government letter No 4804/II-4-09-22(12)/2010 dated 27-04.2010 cited above
2 - Smt Pratibha Saxena, Addl Chief Judicial Magistrate, Jaunpur

[signature] 23/6/10
Joint Registrar

Santal
7-5-10
Encl-(4)

संख्या–4604 / दो–4–09–22(12) / 2010

प्रेषक,

डा0 सुनील कुमार,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायायल,
इलहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल,2010

विषयः– श्रीमती प्रतिभा सक्सेना, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर के किराये के रिम्बर्समेन्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती प्रतिभा सक्सेना, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जौनपुर जिनका स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनपद गाजियाबाद (हापुड़) से जनपद जौनपुर कर दिया गया था और उनके द्वारा दिनांक 8.6.09 को जौनपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। जनपद गाजियाबाद (हापुड़) में सरकारी मकान न होने के कारण इनके द्वारा 5000 प्रतिमाह की दर से किराये का मकान ले लिया गया।

अतः जून 2007 से जनवरी 2009 तक एच.आर.ए. में डिफरेंस मकान किराया जो इन्हें जनपद गाजियाबाद (हापुड़) में प्राप्त नहीं हुआ था से सम्बन्धित श्रीमती सक्सेना के आवेदन पत्र को संलग्न कर यथा आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार कराने हेतु आपको प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव।

प्रेषक,

प्रतिभा सक्सेना,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
जौनपुर।

Request-14

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय:- किराये के रिएम्ब्रेसमेन्ट के संबंध में -

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेरा स्थानान्तरण जनपद गाजियाबाद (हापुड़) से जनपद जौनपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम के पदपर किया गया। मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 8-6-09 को कार्यभार कर लिया है। जनपद गाजियाबाद (हापुड़) में सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण मेरे द्वारा 5000/-रूपये प्रतिमाहकिराये का मकान लिया गया था। जिसमें मुझे जून 2007 से जनवरी 2009 तक एच.आर.ए. से डिफरेंस मकान किराया नही प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु उक्त अवधि का भुगतान जनपद गाजियाबाद से मुझे नही किया गया। पूर्व में दिये गये आवेदन की प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

अत: अनुरोध है कि माह जून 2007 से जनवरी 2009 तक एच.आर.ए.से डिफरेंस मकान किराया जो मुझे जनपद गाजियाबाद में भुगतान नही कराया गया है, का भुगतान कराने की कृपा की जाय।

सादर।

जौनपुर/3-9-09

भवदीया,
(signature) 3/9/09
(प्रतिभा सक्सेना)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
जौनपुर।

संलग्नक :- यथा उपरोक्त ।

SrTO से परीक्षण
Aparna
5/9/09

श्री कमलेश नारायण मिश्र
(signature)
14/9/09
CTO

Repeat 99

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद।

पत्रांक: 2314 /कि0औ0प्र0पत्र/2008 दिनांक: 21/10/08

533
10/08

श्रीमती प्रतिभा सक्सैना,
न्यायिक मजिस्टेट,
हापुड़।

द्वारा/पु0 निरीक्षक, हापुड़
द्वारा S.D.M, हापुड़।

कृपया किराया औचित्य प्रमाण-पत्र विषयक अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक:16-09-2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। प्राइवेट आवास सं0-2-1/1224, न्यू शिवपुरी टाईप-4, हापुड़.जो आप द्वारा किराये पर लिया गया है, का किराया 5000/= रूपये (पाँच हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

स्थान: गाजियाबाद।
दिनांक: 22-10-2008

21/10/08
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
गाजियाबाद।

Request 89

प्रेषक,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

सेवा में,

सचिव
नियुक्ति विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
अनुभाग–4 लखनऊ।

संख्या 808 /नाजिर सदर–कले0गा0बाद/मकान किराया/08 दिनांक: ~~दिसम्बर~~ जनवरी-09 2009

विषयः– प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग(शेटटी आयोग) की संस्तुति के अर्न्तगत राज्य की न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते एवं सुविधाएं प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 27 जनवरी 2006 में आवास/मकान किरांया भत्ते की उल्लिखित व्यवस्था का आंशिक संशोधन।

———

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अवगत कराना हैं कि जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड में कार्यरत श्रीमति प्रतिभा सक्सैना सिविल जज(अवर खण्ड) हापुड एवं श्री रईस अहमद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड द्वारा शासनादेश संख्या 5207/दो–4–06–45(12)/91 टी0सी0 दिनांक 27.7.2006 के अर्न्तगत शासकीय आवास सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत स्वयं के प्रयासों से किराये पर लिये गये मकान के किराये की धनराशि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्रीमति प्रतिभा सक्सैना सिविल जज(अवर खण्ड) हापुड एवं श्री रईस अहमद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदनों की छाया प्रति संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश देने का कष्ट करें कि उक्त न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा किराये पर लिये गये मकान की धनराशि का भुगतान उनके आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से किया जायेगा अथवा जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा । यदि भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा तो वह किस लेखाशीर्षक से किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(दीपक अग्रवाल)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0लखनऊ।
2–श्री मति प्रतिभा सक्सैना,सिविल जज (अवर खण्ड) हापुड।
3–श्री रईस अहमद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Rajeev Ry

प्रेषक:

श्रीमति प्रतिभा सक्सैना,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हापुड़(गाजियाबाद)

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: किराये के रिएम्बर्समेन्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति वर्ष 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हापुड़,जनपद गाजियाबाद में हुई थी। सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण मेरे द्वारा न्यू शिवपुरी मकान सं02-1/1224 5000/-रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया गया था। जून 2007 से अक्टूबर2008 तक के किराये के भुगतान हेतु मेरे द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था। माह नवम्बर 08,दिसम्बर 08 एवं जनवरी 2009 के किराये के भुगतान के सम्बन्ध में आवेदन इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से कर रही हूं। साथही यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा 15 दिसम्बर 2008 तक का एच॰आर॰ए॰ लिया गया है।अत: एच॰आर॰ए॰से डिफरेंस राशि व 16 दिसम्बर 2008 से जनवरी 2009 तक के किराये का भुगतान किया जाना है।

अत: आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे जून 2007 से जनवरी 2009 तक के किराये का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतिभा सक्सैना 14/5/09
(श्रीमति प्रतिभा सक्सैना)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हापुड़(गाजियाबाद)

दिनांक: 14-05-09

संलग्नक- मूल किराया रसीद
माह नवम्बर,दिसम्बर 2008
एवं माह जनवरी 2009

Endorsement No. 1452/IIIt. 15.5.09
Forwarded to जिलाधिकारी गाजियाबाद
District Judge 15/05
Ghaziabad

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:52:15 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad